**अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय–ई०सी०एक्ट, कक्ष सं०–04, गाजीपुर**

**सिविल निगरानी सं०–82/2022**
CNR No.UPGH01005261–2022
**रमाशंकर चौरसिया बनाम अशोक गुप्ता व अन्य**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज निर्णय हेतु नियत है।

न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि– सिविल निगरानी सं०–82/2022 रमाशंकर चौरसिया बनाम अशोक गुप्ता व अन्य स्वीकृत की जाती है। तदनुसार न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कक्ष संख्या–1, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर द्वारा मूलवाद सं०–29/2012 अशोक गुप्ता बनाम मुन्नी सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित–26.08.2022 खण्डित किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णयादेश में व्यक्त सम्प्रेक्षण के आधार पर पक्षकारों को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करते प्रार्थना पत्र 22 ग का पुनः विधिनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

पक्षकार, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक–15.12.2023 को उपस्थित हों।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये उभय पक्ष निगरानी व्यय स्वयं वहन करें।

बाद आवश्यक कार्यवाही, मूल पत्रावली इस निर्णयादेश की प्रति के साथ सम्बंधित विचारण न्यायालय को अविलम्ब वापस प्रेषित हो।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

**दिनांक– 06.12.2023**

**(संजय कुमार यादव–प्रथम)**
**अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश–ई०सी०एक्ट,**
**कक्ष सं०–04, गाजीपुर**

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2023.12.06 16:33:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court